

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 02/स्था. (स्थानां)-03-09/11-4738 / रॉची, दिनांक :- 26.9.11

**शुद्धि-पत्र**

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची की अधिसूचना संख्या- 3262 दिनांक 30.06.11 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

1. उक्त विभागीय अधिसूचना के क्रमांक-06 में श्री रामनरेश प्रसाद सिंह के नाम के सामने स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पदस्थापन "सहायक अभियंता(अ.र.), रूपांकण प्रमंडल संख्या-02, रॉची" के स्थान पर "सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल संख्या-02, रॉची" पढ़ा जाय।
2. उक्त विभागीय अधिसूचना के क्रमांक-05 में श्री राजकुमार प्रसाद के नाम के सामने स्तम्भ-02 एवं 03 में अंकित क्रमशः "जन्म तिथि 02.01.58 एवं वर्तमान पदस्थापन, प्राक्कलन पदाधिकारी, जलपथ अंचल, रॉची के स्थान पर "जन्म तिथि 02.09.58 एवं वर्तमान पदस्थापन, प्राक्कलन पदाधिकारी, जलपथ अंचल, चाईबासा" पढ़ा जाय।
3. उक्त विभागीय अधिसूचना के क्रमांक-83 में श्री ब्रज किशोर दसौधी के नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित नवपदस्थापन स्थान "सहायक अभियंता, जलपथ अवर प्रमंडल, बोराटोला" के स्थान पर "अवर प्रमंडल पदाधिकारी, कंश बंध अवर प्रमंडल, बोराटोला" पढ़ा जाय।

उक्त विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चन्द्र भूषण सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 4738

रॉची, दिनांक :- 26.9.2011

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को(सी.डी. सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाश के पश्चात् इसकी 25(पचीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 4738

रॉची, दिनांक :- 26.9.2011

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव(वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी), विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता(लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड/ सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित), विभाग झारखण्ड / प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब., 07/यो., 08ए., 08बी. एवं 14 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)